<u>विधानसभा / महत्वपूर्ण</u>

# कार्यालय संचालक

## संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक–2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Telephone-0771-2511974, email- dirfood.cg@gov.in, website- www.fcs.cg.gov.in)

क्रमांक 150 / संचा.–वि.स. / 2026 नवा रायपुर, दिनांक 30 / 6 / 2026

प्रति,

1. **प्रबंध संचालक,**
   छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.
   अटल नगर, नवा रायपुर

2. **प्रबंध संचालक,**
   अपेक्स बैंक,
   अटल नगर, नवा रायपुर, छ.ग.

3. **कलेक्टर,**
   जिला–जांजगीर–चांपा,
   छत्तीसगढ़

**विषय :– विधानसभा प्रश्न क्रमांक 764 तारांकित द्वारा श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत्।**

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 764 तारांकित की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर 'यूनिकोड फॉन्ट' में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिकोट फॉन्ट' में**) दिनांक 02.07.2026** तक ई–मेल (dirfood.cg@gov.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें। विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड किये जा सकते है।

**संलग्न–उपरोक्तानुसार**

**सहायक संचालक**
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

पृ.क्रमांक 151 / संचा.–वि.स. / 2026 नवा रायपुर, दिनांक 30/ 6 / 2026

**प्रतिलिपि :–**

खाद्य अधिकारी, जिला– जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़। कृपया उक्त प्रश्न की जानकारी संचालनालय को निर्धारित समय–सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

**सहायक संचालक**
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

# छत्तीसगढ विधान सभा सचिवालय

**प्रश्न**

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **10/07/2026**

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **17/07/2026** विभाग का नाम : **खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण**

विषय : **अतिशेष धान की ई-नीलामी में आबंटित स्टेकों की अनुपलब्धता**

( **तारांकित** प्रश्न क्रमांक : **764** ) **श्रीराघवेन्द्र कुमार सिंह**

क्या **खाद्य मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में स्थित धान संग्रहण केन्द्रों में संग्रहीत धान का उठाव और मिलान पूर्ण हो चुका है अथवा नहीं? अंतिम मिलान में संग्रहीत धानों के विरूद्ध कुल कितनी मात्रा में धान सूखत, क्षतिग्रस्त, अंकुरित, खराब (अमानक) अथवा अनुपलब्ध पाया गया? उक्त कमी/क्षति के कारण कितनी वित्तीय हानि हुई? केन्द्रवार जानकारी देवें? (ख) क्या ई-नीलामी के माध्यम से विक्रय किए गए धान के प्रत्येक स्टेक को कोडवार संग्रहण केन्द्र में चिन्हांकित किया गया था? यदि हां, तो क्या शासन के संज्ञान में ऐसा मामला आया है कि किसी मिलर को आबंटित स्टेक को अधिकारियों द्वारा बिना सूचना अन्य मिलर/क्रेता को आबंटित कर दिया गया एवं मूल क्रेता को अन्य स्टेक के अमानक धान उठाने कहा गया? यदि हां, तो क्या प्रभावित क्रेता को मानक अनुरूप धान उपलब्ध कराने अथवा क्रेता आर्डर निरस्त कर जमा की गई राशि ब्याज सहित वापस करने हेतु कार्यवाही की जावेगी? विवरण देवें? (ग) अपर कलेक्टर की अध्यक्षता मे गठित जांच समिति द्वारा प्रस्तुत की गई जांच प्रतिवेदन के आधार क्या कार्यवाही की गई? यदि नही, तो इसके क्या कारण है? इसके अतिरिक्त अन्य जांच हुई हो तो जांच निष्कर्ष/अभिमत सहित कृत कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करावें?

---

**उत्तर :**

कलेक्टर जांजगीर चांपा

मार्कफेड / अपेक्स बैंक